



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269653
CG-DL-E-29012026-269653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

का.आ. 410(अ).— गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 सहपठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिनांक 5 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. सां. आ. 85(अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

2. उक्त अधिसूचना में "धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 18 तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

18.	श्रीमती रेखा शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) फ्लैट नंबर 1, टावर 5, टाइप 7, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023	सदस्य
-----	--	-------

उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए या या वर्तमान राज्य सभा में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक- दोनों में से जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

[फा. सं. वी.11011/2/2020-पीएनडीटी]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना 5 फरवरी, 1997 के सां.आ. 85 (अ.) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और 28 फरवरी, 1998 के सां.आ. 160 (अ.) के तहत संशोधित की गई थी। इसमें आगे और संशोधन सां.आ. 694 (अ.) दिनांक 13 अगस्त, 1998; सां.आ. 61(अ.) दिनांक 14 जनवरी, 2000; सां.आ. 114(अ.) दिनांक 1 फरवरी 2000; सां.आ. 349(अ.) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; सां.आ. 931(अ.) दिनांक 19 सितंबर, 2001, सां.आ. 590(अ.) दिनांक 31 मई, 2002, सां.आ. 1191(अ.) दिनांक 12 नवम्बर, 2002, सां.आ. 703(अ.) दिनांक 18 जून, 2003, सां.आ. 1458(अ.) दिनांक 23 दिसंबर, 2003, सां.आ. 99(अ.) दिनांक 20 जनवरी, 2004, सां.आ. 367(अ.) दिनांक 17 मार्च, 2004, सां.आ. 937(अ.) दिनांक 19 अगस्त, 2004 सां.आ. 1008(अ.) दिनांक 16 सितंबर, 2004, सां.आ. 56(अ.) 19 जनवरी, 2006, सां.आ. 199(अ.), दिनांक 10 फरवरी, 2006, सां.आ. 200(अ.) दिनांक 10 फरवरी, 2006 सां.आ. 1854(अ.) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006, सां.आ. 1506(अ.) दिनांक 20 जून, 2008, सां.आ. 130(अ.), दिनांक 6 जनवरी, 2009, सां.आ. 2143(अ.) दिनांक 20 अगस्त, 2009, सां.आ. 779(अ.) दिनांक 28 अप्रैल, 2011, सां.आ. 85(अ.) दिनांक 11 जनवरी, 2012, सां.आ. 1272(अ.) दिनांक 25 मई, 2012, सां.आ. 2613(अ.) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 और सां.आ. 2825(अ.) दिनांक 22 नवंबर, 2012, सां.आ. 43(अ.) दिनांक 31 दिसंबर, 2012, सां.आ. 1351(अ.) दिनांक 21 मई, 2013, सां.आ. 306(अ.) दिनांक 31 जनवरी, 2014, सां.आ. 2520(अ.) दिनांक 26 सितंबर, 2014, सां.आ. 2587(अ.) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 तथा सां.आ. 1459(अ.) दिनांक 1 जून, 2015, सां.आ. 2485(अ.) दिनांक 4 सितंबर, 2015, सां.आ. 3097(अ.) दिनांक 09 नवंबर, 2015, सां.आ. 4111(अ.) दिनांक 22 दिसंबर, 2016, सां.आ. 132(अ.) दिनांक 10 जनवरी, 2018, सां.आ. 275(अ.) दिनांक 17 जनवरी, 2018, सां.आ. 276(अ.) दिनांक 17 जनवरी, 2018; सां.आ. 1794(अ.) दिनांक 02 मई, 2018; सां.आ. 143(अ.) दिनांक 09 जनवरी, 2019; सां.आ. 1934(अ.) दिनांक 10 जून 2019; सां.आ. 2779(अ.) दिनांक 2 अगस्त 2019; सां.आ. 3558(अ.) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; सां.आ. 3636(अ.) दिनांक 10 अक्टूबर 2019 सां.आ. 4123(अ.) दिनांक 17 नवंबर

2020; सां.आ. 4354(अ.) दिनांक 14 सितम्बर 2022, सां.आ. 2937(अ.) दिनांक 15 जुलाई, 2024; सां.आ. 4841(अ.) दिनांक 22 अक्टूबर 2025 और सां.आ. 5449(अ.) 20 नवंबर, 2025 के तहत किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

S.O. 410(E).— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5thFebruary, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under heading "appointed under clause (f) of sub-section (2) of Section 7", for serial numbers 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely –

18.	Smt. Rekha Sharma, Member of Parliament (Rajya Sabha) Flat No. 1, Tower 5, Type 7, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023	Member
-----	---	--------

Term of office of the members from serial no. 18 shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or until the expiry of her term in the current Rajya Sabha, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/2/2020-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, videno. S.O.85 (E), dated 5thFebruary, 1997 and amended videNo. S.O.160 (E) dated 28thFebruary, 1998 and further amended videNos. S.O. 694(E) dated 13thAugust, 1998, S.O. 61(E) dated 14thJanuary, 2000; S.O.114(E)dated 1stFebruary, 2000; S.O.349(E) dated 20thApril, 2001; S.O.931(E) dated 19thSeptember, 2001; S.O.590(E) dated 31stMay, 2002; S.O.1191 (E) dated 12thNovember, 2002; S.O.703(E) dated 18thJune, 2003; S.O.1458(E) dated 23rdDecember, 2003; S.O.99(E) dated 20thJanuary, 2004; S.O.367(E) dated 17thMarch, 2004; S.O.937(E) dated 19thAugust, 2004; S.O.1008(E) dated 16thSeptember, 2004; S.O.56(E) dated19thJanuary,2006; S.O.199(E) dated 10thFebruary, 2006; S.O.200(E) dated 10thFebruary, 2006; S.O. 1854(E) dated 30thOctober, 2006; S.O.1506(E) dated 20thJune, 2008; S.O.130(E) dated 6thJanuary, 2009; S.O.2143(E) dated 20thAugust, 2009; S.O.779(E) dated 28thApril, 2011; S.O.85(E) dated 11thJanuary, 2012; S.O.1272(E) dated 25thMay, 2012; S.O. 2613(E) dated 25thOctober, 2012; S.O.2825(E) dated 22ndNovember, 2012; S.O.43(E) dated 31stDecember, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21stMay, 2013; S.O. 306(E) dated 31stJanuary, 2014; S.O. 2520(E) dated 26thSeptember, 2014; S.O. 2587(E) dated 2ndOctober, 2014; S.O. 1459(E) dated 1stJune, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4thSeptember, 2015; S.O. 3097(E) dated 9thNovember, 2015; S.O. 4111(E) dated 22ndDecember, 2016; S.O. 132(E) dated 10thJanuary, 2018;S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2ndMay 2018; S.O. 143(E) dated 9thJanuary 2019; S.O. 1934(E) dated 10thJune 2019; andS.O. 2779(E) dated 2ndAugust 2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10thOctober 2019, S.O.4123(E) dated 17thNovember 2020; S.O.4354(E) dated 14thSeptember 2022, S.O. 2937(E) dated 15th July, 2024; S.O.4841(E) dated 22nd October 2025 and S.O. 5449(E) 20th November, 2025.